<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

कोरमः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 627/1991

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण

1. बुड़गा उर्फ़ बैसाखू पिता मोहर कहरा, उम्र 23 वर्ष, निवासी किसान राइस मिल के सामने झोपड़ी पारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)
2. फिरतराम पिता किशन माहरा, उम्र 32 वर्ष, निवासी किसान राइस मिल के सामने, झोपड़ी पारा, रायगढ़ (म. प्र.) (अब छत्तीसगढ़)
3. चमर राम पिता पूनसाई महरा, उम्र 32 वर्ष
4. पुकलाल पिता रूपदास गवेल उम्र 32 वर्ष
5. ननकी पिता धनाराम महरा, उम्र 30 वर्ष
6. भगउ पिता मोहन महरा, उम्र 35 वर्ष
7. सखू राम पिता ननकू महरा उम्र 35 वर्ष
8. कंथीदास पिता शिवकरण पंका, उम्र 30 वर्ष (मृतक - दिनांक 6.5.2010 के आदेश द्वारा नाम विलोपित किया गया)
9. समारू पिता मोहन कहरा, उम्र 29 वर्ष, अपीलार्थी.3 से 9 सभी निवासी नवापारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)
10. इतवारी पिता मोहन कहरा, उम्र 20 वर्ष, निवासी नवापारा, झोपड़ीपारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)

11. सुखारू उर्फ सुकरू पिता तिजराम साहू, उम्र 35 साल वर्ष, निवासी झोपड़ीपारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)

12. तेरसराम पिता बल्दूराम कहरा 23 वर्ष, निवासी झोप झोपड़ीपारा डीपारा, (म.प्र.) (अब अब छ.ग.)

13. खिकराम पिता बोजोराम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी नवापारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)

14. बैसाखू राम पिता ननकू रामकहरा, उम्र 40 वर्ष, निवासी नवापारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)

15. संतोष उर्फ बहुरसिंह पिता चमरराम, उम्र 18 वर्ष, निवासी झोपड़ीपारा, नवापारा, रायगढ़ (म.प्र.)(अब छ.ग.)

16. छेदन पिता मोहन कहगा, उम्र 20 वर्ष,

17. माधोलाल पिता मोहन कहरा, उम्र 18 वर्ष

अपीलार्थी क्र. 16 एवं 17, निवासी नवापारा, रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

<u>अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड संहिता प्रक्रिया, 1973</u>

उपस्थित: अपीलार्थी क्र. 1, 2, 4, 6 और 13 की ओर से श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता
अपीलार्थी क्र. 3, 5, 7, 9, 10, 11,12, 14, 15, 16 की ओर से

श्री गोविंद राम मिरी अधिवक्ता
राज्य शासन की ओर से श्री जे.ए.लोहानी, शासकीय पैनल अधिवक्ता

निर्णय
(25/08/2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा द्वारा घोषित किया गया।

1. यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्र. 121/90 में दिनांक 26 जून 1991 को पारित निर्णय के विरुद्ध है।

2. अपीलार्थी क्र.1- बुड़गा उर्फ बैसाखू, अपीलार्थी क्र.2-फिरतराम, अपीलार्थी क्र. 4-पुकलाल तथा अपीलार्थी क्र.6-भगऊ को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 व 302/149 के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराते हुए उन्हें 3 महीने के लिए कठोर कारावास एवं आजीवन कारावास की दंडादेश सुनाया गया है; और शेष अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 व 302/149 के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराते हुए उन्हें 3 माह का कठोर कारावास और आजीवन कारावास की दडादेश सुनाया गया है, साथ ही दंडादेश को साथ साथ भुगताये जाने का निर्देश भी दिया गया है।

3. अपीलार्थी क्र.8- कंठीदास की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। उसका नाम अपील के वाद-शीर्षक से विलोपित कर दिया गया है तथा अपीलार्थी क्र.8 की ओर से दाखिल अपील को दिनांक 6.5.2010 के आदेश द्वारा उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया गया है।

4. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:
अपीलार्थी और मृतक फारुख अहमद, रायगढ़ शहर के बाहरी इलाके में एक ही मोहल्ले के निवासी थे। उन्होंने उक्त मोहल्ले के लोगों से चंदा जुटाकर मृतक फारुख अहमद के घर के सामने एक पानी की टंकी का निर्माण कराया था। अपीलार्थी - बुड़गा, भगऊ, फिरतराम, चमार, सुखारू और समारू आदि मृतक को उक्त टंकी से पानी लेने से रोकते थे। इस संबंध में मृतक ने 15.4.90 को सिटी कोतवाली, रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो रोजनामचा सान्हा क्र.1083(प्र.पी./26)के रूप में दर्ज की गई थी। यह आक्षेप है कि 16/4/90 को रात लगभग 9 से 9.30 बजे अपीलार्थीगण ने एक विधिविरुद्ध जमाव गठित करते हुए प्राण घातक अस्त्र-शस्त्रों के साथ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बलवा में भाग लिया और उस जमाव ने सामान्य आशय व उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने मृतक पर फर्शी, सब्बल, भुजाली और डंडों से हमला कारित किया।

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी उधो सिंह(अ.सा.-1), सत्येंद्र कुमार सिंह (अ.सा.-2), जैबुन्निशा(अ.सा.-17)एवं मुस्ताक अहमद(अ.सा.-18)थे। उधोसिंह ने उसी दिन रात लगभग 11 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी.(प्र.पी./1)दर्ज कराई। अपीलार्थी क्र.1 बुड़गा, अपीलार्थी क्र.2-फिरतराम, अपीलार्थी क्र.4-पुकलाल एवं अपीलार्थी क्र.6 भगऊ के नाम प्राथमिकी में हैं। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि भगऊ के हाथ में फर्शी, पुकलाल के हाथ में सब्बल, बुड़गा के हाथ में भुजाली और फिरतराम समेत बाकी 10-12 लोग लाठियां पकड़े हुए थे। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉ. आनंद गुप्ता (अ.सा.-22) ने उसकी जांच की, जिन्होंने चिकित्सकीय विधिक मामला रिपोर्ट (प्र.पी./39) तैयार की। उन्होंने घायल फारुख अहमद (अब मृतक) के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें पायी :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) दाहिनी जांघ के बीच में 10 सेमी x ½ सेमी का छिन्न घाव (कटा हुआ घाव);
(ii) बाएँ हाथ पर 2 ½ सेमी x ½ सेमी छिन्न घाव (कटा हुआ घाव);
(iii) बाएँ ह्युमोरस(हाथ में कंधे से कोहनी तक जाने वाली हड्डी)के मध्य भाग पर अस्थि भंग;
(iv) दाएँ घुटने पर 12 सेमी x 3 ½ सेमी का छिन्न घाव (कटा हुआ घाव); जिससे टिबिया (पिंडली की हड्डी) पर चोट लग गया है;
(v) बाएँ घुटने पर 20 सेमी x 5 सेमी का छिन्न घाव (कटा हुआ घाव); जिससे घुटने की हड्डी में योगिक (कंपाउंड) फ्रैक्चर है;
(vi) बाएँ कलाई पर 1 ½ सेमी x ½ सेमी का छिन्न घाव (कटा हुआ घाव);
(vii) बाएँ जांघ के निचले भाग पर 5 सेमी x 3 सेमी का छिन्न घाव (कटा हुआ घाव);
(viii) दाएँ हाथ की मध्यमा उंगली पर छिन्न घाव (कटा हुआ घाव);
(iX) चोट संख्या 5 के ठीक ऊपर 15 सेमी x 5 सेमी व 12 सेमी x 3 सेमी के दो छिन्न घाव (कटे हुए घाव)और
(x) बाएँ जांघ के पिछले भाग पर 4 सेमी x ½ सेमी x त्वचा की गहराई तक छिन्न घाव (कटा हुआ घाव);

एम.एल.सी. प्रतिवेदन के अनुसार, चोट संख्या 3, 4, 5 व 9 गंभीर चोटें थीं तथा अन्य चोटें सामान्य चोटें थीं। चोट संख्या 3 को छोड़कर, अन्य चोटें 12 घंटे की अवधि के भीतर तेज धारदार वस्तु से लगी । मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसके बाएं हाथ की सर्जरी की जानी थी। वास्तव में, उसके दाढ़ों की कम्प्रेशन प्लेटिंग (जबड़े के फ्रैक्चर में किया जाने वाला शल्य क्रिया) की जानी थी। दिनांक 8/4/90 को, उक्त सर्जरी डॉ. शरद अवस्थी(अ.सा.-20) के नेतृत्व में

डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की जा रही थी। इसी दिन चोटों के वशीभूत होने के कारण, मृतक की ऑपरेशन टेबल पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलने पर मृतक के शव को, शव परीक्षा के लिए डॉ दिनेश चंद्र सेठिया (अ.सा.-21)के पास भेजा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी./37) तैयार की। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वह मौत के कारण सुनिश्चित नहीं कर सके तथा उन्होंने रासायनिक विश्लेषण और हिस्टोपैथोलॉजिकल (उत्तक विकृति विज्ञानं) परीक्षण के लिए विसरा (आंतरिक अंग जैसे यकृत, हृदय, गुर्दा,आँते) सुरक्षित रख लिया। हालाँकि, ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

अन्वेषण के दौरान, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17/04/90 को मृतक का मृत्युपूर्व कथन भी अभिलिखित किया गया, जिसमें मृतक ने कई अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में बताया, लेकिन उसने बहुत स्पष्ट रूप से अपीलार्थी बुड़गा, भगऊ के नामों का उल्लेख किया, जिन्होंने उसके विरुद्ध फर्शी और भाला से हमला किया और उसने सामान्य कथन किया कि अपीलार्थी ननकी और अन्य अपीलार्थीगण ने उस पर लाठी से हमला किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोजन पक्ष का मामला उधो सिंह (अ.सा.-1), सत्येंद्र कुमार सिंह (अ.सा.-2), जैबुन्निशा (अ.सा.-17-मृतक की पत्नी)और मुस्ताक अहमद (अ.सा.-18– मृतक का पुत्र) के प्रत्यक्षदर्शित्त अभिकथनो पर आधारित था।

6. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर विश्वास व्यक्त किया और अपीलार्थीगण को पूर्वकथित कंडिकाओं अनुसार सिद्धदोष ठहराया और दंडादिष्ट किया।

7. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी और श्री गोविंद राम मिरी ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी 'विश्वसनीय नहीं हैं; उनके बयान विरोधाभासी हैं; अपीलार्थीगण की संलिप्तता, जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है, संदिग्ध प्रतीत होती है। अन्यथा भी, अपीलार्थीगण के विरुद्ध साक्ष्यों की प्रकृति को देखते हुए, जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है, उन्हें धारा 149 भा.द.वि.की अध्यधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से मृतक को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए और यह देखते हुए कि मृतक की घटना के 13वें दिन, वह भी ऑपरेशन टेबल पर, मृत्यु हो गई थी, भा.द.वि. की धारा 302 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है और जिन अपीलार्थीगण का नाम प्राथमिकी में है, वे किसी लघुतर धारा, अधिमानतः भा.द.वि. की धारा 304 के भाग-I या II के अंतर्गत सजा के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. दूसरी ओर, राज्य शासन की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

10. जैबुन्निशा (अ.सा.-17)मृतक की पत्नी है। उसने सामान्य रूप से साक्ष्यांकित कराया। उसने अभिकथन किया उस दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, उसने देखा कि अपीलार्थीगण उसके घर के सामने खड़े थे। उनके साथ उधो सिंह(अ.सा.-1) भी था। अपीलार्थीगण ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। अपीलार्थी - बुड़गा फरशा से लैस था, अपीलार्थी -भगऊ गड़ासा से लैस था और अपीलार्थी फिरतराम तब्बल से लैस था और बाकी अपीलार्थी डंडों से लिए हुए थे। यह कहानी का पहला भाग था। उसने अपने गवाही में आगे यह भी बताया कि जैसे ही वे चावल मिल के पास पहुंचे, अपीलार्थीगण अचानक वहां आ गये और उसके पति पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके पति को कई चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-19में उसने स्वीकार किया कि जब वह अपने पति के पास पहुंची तो उसने देखा कि हमलावर वहां नहीं थे और उसका पति सड़क से 15-20 कदम की दूरी पर पड़ा था। हमारे सामने यह तर्क दिया गया कि अ.सा.-17 (जैबुन्निशा) की उपरोक्त कथन से पता चलता है कि वह अपने पति के साथ उनके घर से नहीं गई थी और वह हमला खत्म होने के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी, इसलिए वह वहां किसी हमलावर को नहीं देख सकी और उसने अपने पति को सड़क के पास घायल अवस्था में पड़ा पाया। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विकसित/प्रस्तुत किये गए उक्त तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी साक्षी का समूचा साक्ष्य देखा जाना चाहिए, न कि उसका वह अंश जिसमें प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई आकस्मातिक कथन प्रकट हो गया हो। इस साक्षी के संपूर्ण साक्ष्य की विषय-वस्तु को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी और वह हमलावरों को अपने पति पर हमला करते नहीं देख सकी। हालाँकि, सामान्य तौर पर उसने सभी अपीलार्थीगण के बारे में बयान/साक्ष्य कथन दिया, लेकिन उसने केवल अपीलार्थी भगऊ, फिरतराम और बुड़गा के नाम लिए। झगड़े में इन तीनों अपीलार्थीगण की उपस्थिति और भागीदारी उसके साक्ष्य से पूरी तरह से स्थापित हो गई। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बुड़गा तब्बल से सशस्त्र था, भगऊ फर्श से सशस्त्र था व फिरतराम भाला से सशस्त्र

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

था तथा उन्होंने उक्त अस्त्र-शस्त्रों से उसके पति पर आक्रमण किया और बाकी लोगों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला किया, लेकिन ने उन व्यक्तियों के स्पष्ट नाम नहीं लिए हैं।

11. मुस्ताक अहमद (अ.सा.-18) मृतक फारुख अहमद का पुत्र है। वह लगभग 12 वर्ष का था। उसने बयान दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उसके पिता पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे। वह अपने पिता के साथ था। जब वे चावल मिल के कोने के पास पहुँचे, तो आरोपी उनके पीछे आ गए और उसके पिता पर हमला कर दिया। जब वे पुलिस थाना जा रहे थे, तब उधो सिंह (अ.सा.-1)भी उनके साथ था। उसने विशिष्टतः बयान दिया कि भगऊ ने उसके पिता पर भुजाली से व बुड़गा ने तब्बल से तथा अन्य अपीलार्थीगण ने लाठियों से हमला किया। इसके बाद उसने उन अपीलार्थीगण के नाम बताया, जिन्होंने उसके पिता पर लाठियों से हमला किया था। वे पुकलाल, छेदन, चमरराम, ननकी, तेरस, समारू, खिकराम, माधोलाल, फिरत, कथिंदास, सखारू, इतवारी और संतोष हैं। उसने यह विवरण नहीं दिया है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने उसके पिता पर किस प्रकार हमला किया। केस डायरी के अपने अभिकथन(प्र.डी./4)में, उसने मुख्य हमलावरों के रूप में भगऊ और बुड़गा का उल्लेख किया है और कहा है कि अन्य अपीलार्थीगण भी वहाँ आए थे। लेकिन अन्य अपीलार्थीगण के बारे में उसका बयान साधारण शैली के हैं। वह यह बताने में असमर्थ रहा कि उपरोक्त दोनों अपीलार्थीगण, भगऊ व बुड़गा, जो भुजाली और तब्बल पकड़े हुए थे, के अलावा अन्य अपीलार्थीगण ने मृतक पर किस प्रकार हमला किया। उसके बयान का केस डायरी के बयान के साथ खंडन किया गया है, लेकिन ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस साक्षी के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, यह स्पष्ट था कि उसने भगऊ व बुड़गा के विरुद्ध विशिष्ट आरोपण किए थे और उनके पास मौजूद अस्त्र- शस्त्र का विवरण दिया था, लेकिन अन्य अपीलार्थीगण के बारे में उसका साक्ष्य सामान्य प्रकृति का था। उसके साक्ष्य में यह आता है कि सबसे पहले उपरोक्त दोनों अपीलार्थीगण उनके घर आए, इसके बाद अन्य अपीलार्थीगण भी वहाँ आए, फिर मृतक और उसके परिवार के सदस्यों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना जाने का निर्णय लिया, किन्तु उपरोक्त व्यक्तियों ने उनका पीछा किया, जिस पर मृतक भाग गया, तब उसका पीछा किया गया और फिर अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। उसने यह भी साक्ष्य कथन दिया कि घटना के बाद, उनके साथ मौजूद उधो सिंह (अ.सा.-1) को पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजा गया था।

12. सत्येंद्र कुमार सिंह(अ.सा.-2)बाल साक्षी है। उसने बयान दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात लगभग 9-10 बजे, जब वह एक पान की दुकान पर मौजूद था, उसने बीमा अस्पताल क्षेत्र से शोर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुना। वह उस जगह गया और देखा कि भगऊ, बुड़गा, फिरतराम और कई अन्य व्यक्ति मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे। उसने आगे बताया कि छेदन , ननकी, समारू, सुखारू तथा इतवारी भी मृतक पर हमला कर रहे थे। उसने स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि कौन किस अस्त्र –शस्त्र से लैस था। उसने पुलिस को कोई बयान देने से इनकार किया और ज़ोर देकर कहा कि वह ये सारी बातें पहली बार न्यायालय के सामने कह रहे हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह भगऊ, बुड़गा और फिरतराम के नाम जानता है, किन्तु अन्य अपीलार्थीगण के नाम नहीं जानता। हम देखते हैं कि उसका धारा 161 द.प्र.स. का बयान (प्र.डी./2)16/5/90 को यानी घटना के एक महीने बाद दर्ज किया गया था। न्यायालय के समक्ष उसका साक्ष्य कथन 2 जनवरी, 1991 को अभिलिखित की गई थी। हालांकि उसने न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ननकी, समारू, सुखारू और इतवारी की पहचान की, लेकिन हमें संदेह है कि वह 8-9 महीने बाद उन्हें पहचान पाएगा , जिन्हें वह घटना से पहले नहीं जानता था। पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान के लिए कोई पहचान कार्यवाही संचालित नहीं की गई थी। अतः, उसके साक्ष्य की अधिमूल्यन करते हुए, हम अपीलार्थीगण भगऊ, बुड़गा और फिरतराम के लिए उनके साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हैं और यह मानते हैं कि उनके साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ कि अन्य अपीलार्थीगण भी घटना में सम्मिलित थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. उधो सिंह (अ.सा.-1) प्रथम सूचना प्रदाता है। उसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का भी दावा किया है। उसने केवल तीन अपीलार्थीगण भगऊ, बुड़गा और पुकलाल के नाम लिए हैं। उसने बयान में बताया कि भगऊ के पास फरसा, बुड़गा के पास तब्बल और पुकलाल के पास लोहे का कोई हथियार था। इस साक्षी के अनुसार, जब मृतक अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस थाना जा रहा था, तो वह भी उसके साथ गया था। जब वे चावल मिल के कोने के पास पहुँचे, तो अपीलार्थीगण ने उनका पीछा किया, जिस पर मृतक अपने परिवार के सदस्यों को वहीं छोड़कर बीमा अस्पताल की ओर भागा। अपीलार्थीगण भी उसी ओर भागे और उन्होंने मृतक के साथ मारपीट किया।

14. मृतक की पत्नी और पुत्र ने उधो सिंह (अ.सा.-1) की उपस्थिति की स्वीकृति दी है। वे यह भी स्वीकृति किये है कि घटना के बाद उधो सिंह, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। मुस्ताक अहमद (अ.सा.-18) ने अति विशिष्टतया साक्ष्य कथन दिया कि जब मारपीट समाप्त हो गई और हमलावर घटनास्थल से चले गए तब उधो सिंह को उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा था। इसलिए यह स्पष्ट है कि उधो सिंह को घटना और उसमें भाग लेने वालों के बारे में

पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले दो अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों यानी मृतक की पत्नी और बेटे से मुलाकात की थी। प्राथमिकी(प्र.पी./1) की विषय-वस्तु से प्रकट होता है कि उन्होंने प्राथमिकी में केवल भगऊ, बुड़गा, पुकलाल और फिरतराम के नामों का उल्लेख किया है और उनके द्वारा रखे गए अस्त्र-शस्त्रों के बारे में भी विवरण दिया है। हालांकि उन्होंने प्राथमिकी में आगे उल्लेख किया है कि उपरोक्त अपीलार्थीगण के साथ 10-12 व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने उनके नामों का उल्लेख नहीं किया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थीगण, मृतक और सभी साक्षी सभी एक ही इलाके के निवासी थे और उनमें से अधिकांश जूट मिल में काम करते थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थीगण, उधो सिंह या अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के लिए अज्ञात थे। इसलिए, एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा तुरंत दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अन्य अपीलार्थीगण के नामों की अनुपस्थिति; जिसे दो अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी जानकारी दी थी, अभियोजन पक्ष के लिए सांघातिक था और प्राथमिकी में चार नामो को छोड़कर अन्य अपीलार्थीगण की उपस्थिति और भागीदारी संदेहास्पद हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उधो सिंह (अ.सा.-1) ने बयान दिया कि जब हमलावर चावल मिल के कोने के पास पहुँचे, तो मृतक फारुख अहमद अपनी पत्नी और बेटे को वहीं छोड़कर बीमा अस्पताल की ओर भाग गया, जिसके नजदीक यह घटना घटी थी। जैबुन्निशा (पी.डब्लू.-17) ने भी अपनी प्रति परीक्षण पैरा-19 में स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुँची, तो उसने देखा कि उसका पति घायल अवस्था में सड़क से 15-20 कदम की दूरी पर पड़ा था और हमलावर घटनास्थल से जा चुके थे। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जैबुन्निशा (अ.सा.-17) और उसका बेटा मुस्ताक अहमद (अ.सा.-18) वास्तव में उन लोगों को देख पाए थे जिन्होंने मृतक पर हमले में भाग लिया था, किन्तु इन साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य और मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी./21) की विषय-वस्तु के समग्र मूल्यांकन से, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज चारों अपीलार्थी की भागीदारी पूरी तरह से स्थापित/प्रमाणित हो गई।

16. **मसलती विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर 1965 एस सी 202** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि “यह सच है कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य जो विश्वसनीय नही है, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। किन्तु जहाँ किसी दांडिक न्यायालय को बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों से जुड़े अपराध के संबंध में साक्ष्यों पर विचार करना होता है, वहाँ यह मानकर चलना आम बात है

कि दोषसिद्धि तभी कायम रह सकती है जब उसे दो या तीन या अधिक साक्षियों द्वारा समर्थित किया जाए जो घटना का सुसंगत विवरण दें। एक अर्थ में, इस परीक्षण को यांत्रिक कहा जा सकता है; लेकिन इसे तर्कहीन या अनुचित नहीं माना जा सकता। निस्संदेह, साक्ष्य की गुणवत्ता मायने रखती है, न कि साक्ष्य देने वाले गवाहों की संख्या। लेकिन कभी-कभी यांत्रिक परीक्षण अपनाना उपयोगी होता है।" उपरोक्त परीक्षण को लागू करने और उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के बाद, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि प्राथमिकी में नामित चारों अपीलार्थीगण, अर्थात् अपीलार्थी क्र.1- बुड़गा उर्फ बैसाखू, अपीलार्थी क्र.2 - फिरतराम, अपीलार्थी क्र.4- पुकलाल और अपीलार्थी क्र.6 -भगऊ, की संलिप्तता अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से स्थापित/प्रमाणित की गई थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष मृतक पर हमले की उक्त घटना में अन्य अपीलार्थीगण की संलिप्तता या यह साबित करने में विफल रहा कि वे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे या उन्होंने दंगों में भाग लिया था।

17. अब हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या उपरोक्त चारों अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि और दंड न्यायसंगत था या वे अपनी ओर से दावा किए गए भा.द.वि.की धारा 304 के अंतर्गत दंड के उतरदायी थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. भा.द.वि.की धारा 304 आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में दी जाने वाली सज़ा के बीच अंतर करता है, जहाँ, मारने का आशय मौजूद होने पर, कृत्य हत्या की श्रेणी में आता, लेकिन यह धारा 300 के 'अपवादों में से एक' के अंतर्गत नहीं आता, और ऐसे मामले जिनमें अपराध, आपराधिक मानव वध है, जिसका अर्थ है कि जहाँ यह ज्ञान/जानकारी है कि मृत्यु एक संभावित परिणाम होगी, किन्तु मृत्यु या शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय अनुपस्थित है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। धारा 304 का पहला भाग वहाँ लागू होता है जहाँ आशय है, जबकि दूसरा भाग वहाँ लागू होता है जहाँ ज्ञान/जानकारी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 304 के किसी भी भाग के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि धारा 300 के पाँच अपवादों में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा मृत्यु कारित की गई होगी, जिसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन के तहत आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने पर, सद्भावपूर्वक व्यक्ति या संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय, और पूर्वचिंतन के बिना अतिशय भावनात्मक आवेग में अचानक लड़ाई में हुई मृत्यु शामिल है। आशय से बिल्कुल अलग जो दर्शाता है कि एक विशेष परिणाम सुनिश्चित होना चाहिए। धारा 304 के

पूर्व भाग को आकर्षित करने के लिए आशय का तत्व एक कारक है जबकि पश्चातवर्ती भाग को आकर्षित करने के लिए, ज्ञान का तत्व एक कारक है। आशय किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ का अर्थपूर्ण कार्य है, जबकि ज्ञान एक जागरूकता है जो अच्छी तरह से सूचित होने का श्रेय देती है कि किसी कार्य को करने से एक विशेष परिणाम हो सकता है।

19. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि झगड़ा उस इलाके के लोगों द्वारा एकत्र किये गए राशि से निर्मित एक टैंक से पानी लेने के कारण हुआ था। मृतक को लगी चोटें उसके शरीर के जीवनाधार/महत्वपूर्ण अंगो पर नहीं थीं और ज्यादातर चोटें हाथों आदि पर थीं। मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और घटना के 13 वें दिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि शव परीक्षक सर्जन भी मौत का कारण सुनिश्चित नहीं कर सके । वास्तव में, मृत्यु 28/4/90 को ऑपरेशन-टेबल पर हुई जब मृतक के बाएं हाथ पर दाढ़ कम्प्रेशन प्लेटिंग के लिए ऑपरेशन किया जाना था। किसी भी डॉक्टर ने यह राय नहीं दी है कि मृतक को लगी चोटों से सामान्यतः मृत्यु होने की संभावना थी। मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे सुविचारित मत में, उपरोक्त चारों अपीलार्थीगण, जिन्होंने मृतक पर उपरोक्त प्रकार से हमला किया था, पर गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने का आशय अनिवार्य रूप से अध्यारोपित किया जाना चाहिए और वे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराए जाने योग्य होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को भा.द.वि. धारा 148, 302/149 और 147, 302/149 के अध्यधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। चारों अपीलार्थीगण, अर्थात् अपीलार्थी क्र.1- बुड़गा उर्फ बैसाखू, अपीलार्थी क्र.2 - फिरतराम, अपीलार्थी क्र.4- पुकलाल और अपीलार्थी क्र.6 - भगऊ को छोड़कर, अन्य सभी अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उपरोक्त चारों अपीलार्थीगण को भा.द.वि.की धारा 304 भाग-I /34 के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया जाता है तथा 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है। अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त चारों अपीलार्थीगण को 26 जून, 1991 को दंडादिष्ट किया गया है तथा इस न्यायालय ने 18/7/2001 को उन्हें जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया था और वे पहले ही 10 वर्ष से अधिक की सजा भुगत चुके हैं। इसलिए, उन्हें इस मामले में आत्मसमर्पण करने की

आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

हस्ताक्षरित /-
मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित /-
सुनील कुमार सिन्हा.
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate